(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

रामलाल बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमाः–212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्याः–59/2017 (GCMS No.2017/00351)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.05.2026	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादी के पास रोही सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़ के खसरा संख्या 226/4 में 40.00 बीघा भूमि सम्वत् 2026 में टी.सी. आवंटित ह। आवंटन दिनांक से आज तक यह भूमि वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है। भूमि आवंटन के समय उपनिवेशन क्षेत्र में थी। सन् 2007 में उक्त भूमि राज्य अधिसूचना अनुसार उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर घोषित कर दी गई। उक्त टी.सी. आवंटन कभी भी सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त नही किया गया। भू–राजस्व आवंटन नियम 1970 के नियम 18 में संशोधन के द्वारा इस प्रकार की टी.सी. आवंटित भूमि जो आवंटन के समय उपनिवेशन क्षेत्र में थी। बाद में उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर घोषित कर दी गई को सिलिंग सीमा तक खातेदार प्रदान के प्रावधान किये है। जिसकी मुख्य शर्त टी.सी. आवंटन होना एवं लगातार कब्जा होना है। उपर्युक्त नियमों तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 30.7.2008 को 25.00 बीघा की खातेदारी वादी को कर दी गई। जबकि प्रार्थी 40.00 बीघा खातेदारी प्राप्त करने का हकदार था। इस प्रकार बिना किसी विधिक कारण के वादी को 15.00 बीघा भूमि की खातेदारी से वंचित रख दिया गया। प्रार्थी के कब्जा की भूमि राजस्व रिकार्ड में रकबाराज अंकित है। अप्रार्थी व अन्य व्यक्ति इस तथ्य का फायदा उठाकर प्रार्थी को भूमि से बेदखल कर सकते है। जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत भूमि रोही सरदारपुरा खर्थ के खसरा संख्या 226/4 में 15.00 बीघा जो रकबा राज अंकित है को वाद पत्र के निर्णय तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये जावे। पैरोकार राज ने राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए निर्णय करने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजों का गहतना से अवलोकन किया। रोही सरदारपुरा खर्था की खसरा गिरदावरी सम्वत् 2026 ता 2029 में खसरा नं. 226/4 में प्रार्थी के नाम 40.00 बीघा एक साला आवंटन का नोट अंकित है। इसके पश्चात् जमाबंदी सम्वत् 2071 ता 74 में प्रार्थी के नाम खसरा संख्या 226/4 की 6.325 हैक्टर बारानी भूमि खातेदार अंकित है। प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित हो कि खातेदारी के समय 40.00 बीघा की खातेदारी ना जारी कर मात्र 25.00 बीघा भूमि की खातेदारी किस आधार पर जारी की गई। इनके द्वारा तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा खातेदारी के समय दिये गये निर्णय की प्रति भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही की गई। इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र [illegible] के अभाव में माने जाने योग्य नही है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी [illegible] होने से अस्वीकार किया जाना हम उचित समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र [illegible] अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली नंबर से कम होकर [illegible] दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18/05/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.21 17:27:10 IST
Reason: SelfAttested